

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 62/2023

तारीख दायर 12-4-2023

जयलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1. बालु पुत्र सेवाराम जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भगवानलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मदनलाल पुत्र मोड़ा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक - 12/4/2023

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री जयलाल ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल बाकलिवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार क्षेत्र गोपालपुरा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 06 आराजी नंबर 23 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार क्षेत्र गोपालपुरा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 06 आराजी नंबर 23 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 62/2023

तारीख दायर-12-4-2023

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 62/2023 ..... पत्थरगढी बाबत।

जयलाल पुत्र भंवरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

1. बालु पुत्र सेवाराम जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भगवानलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मदनलाल पुत्र मोड़ा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार क्षेत्र गोपालपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 06 आराजी नंबर 23 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ